राजस्थान सरकार
वित्त (SPFC) विभाग

क्रमांकः–प.1(8) वित्त/साविलेनि/2011 जयपुर, दिनांकः 23.12.2016

विषयः प्रथम एवं द्वितीय अपील पर हुए निर्णयो को राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में

विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17 के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय अपीलों पर सक्षम अपीलीय प्राधिकारीगण द्वारा लिये गये निर्णयों को राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) के "अपील मोड्यूल" पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

प्रायः देखने में आया है कि उपापन संस्थाओं द्वारा उक्त अपील मोड्यूल पर अपीलों के निर्णयों के अलावा कतिपय अन्य दस्तावेज जैसे संशोधित बोली आमंत्रण सूचनाएँ, बोली प्रस्तुतीकरण की दिनांक में संशोधन आदि सूचनाएँ भी इस मोडूयूल में अपलोड की जा रही हैं, जो नियम विरूद्व है। अन्य सूचनाओं के लिए SPPP पर पृथक मोड्यूल उपलब्ध कराये हुए हैं। अतः उपापन संस्थाओं से यह आग्रह किया जाता है कि भविष्य में अपीलों के निर्णय नियमित रूप से निर्धारित मोड्यूल में ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।

समस्त उपापन संस्थाओं से आग्रह है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17 के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय अपीलों पर इस अधिनियम के लागू होने से आदिनांक तक हो चुके समस्त निर्णयों को राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) के निर्धारित मोड्यूल पर दिनांक 28.12.2016 तक अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इन निर्णयो को ई–मेल आईडी *cao.spfc@rajasthan.gov.in* पर भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करने का श्रम करें।

(रामावतार शर्मा)
सयुंक्त शासन सचिव
वित्त (G&T)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–
1. निजी सचिव शासन सचिव (बजट) विभाग
2. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार
3. समस्त नोडल अधिकारी SPPP
4. समस्त उपापन संस्थाएँ

(रामावतार शर्मा)
सयुंक्त शासन सचिव
वित्त (G&T)